



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 563 राँची, गुरुवार, 21 कार्तिक, 1942 (श०)
12 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

01 अक्टूबर, 2020

संख्या-03/मुकदमा-03-07/2019 का. 4964-- विभागीय अधिसूचना संख्या 1504 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 847/03), निदेशक प्रशासन, गृह (कारा) निदेशालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पदस्थापन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा के पद पर किया गया।

श्री कुमार अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करते हुए दिनांक 19.02.2019 से स्वास्थ्य कारणों से अवकाश हेतु आवेदन समर्पित कर अवकाश में प्रस्थान किया गया तथा बारम्बार अवकाश स्वीकृति/विस्तार हेतु आवेदन समर्पित किया जाता रहा। विभागीय पत्रांक 3177 दिनांक 18.04.2019 के द्वारा उनके अवकाश स्वीकृति/विस्तार के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया गया।

श्री कुमार के द्वारा अपने स्थानान्तरण से संबंधित अधिसूचना को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No. 1134/2019 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 16.05.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"In view of the facts and finding aforesaid, this writ application needs to be allowed. Accordingly, this writ application is allowed. The transfer order, as contained in memo no. 1540 dated 18.02.2019, So far as this petitioner is concerned, is hereby quashed. The respondents are directed to take appropriate step for posting the petitioner."

उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA 417/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 21.10.2019 को पारित न्यायादेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA को dismiss कर दिया गया।

श्री मनोज कुमार के द्वारा अपने अवकाश स्वीकृति/विस्तार की अस्वीकृति से संबंधित विभागीय पत्रांक 3177 दिनांक 18.04.2019 को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.3195/2019 मनोज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2020 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"In view of these discussions, the impugned order dated 18.04.2019 cannot be sustained in the eye of law and accordingly, the same is hereby quashed. The matter is remitted back to the respondent-State to consider the application of the petitioner afresh in the light of above discussions and pass appropriate order in accordance with law".

श्री मनोज कुमार द्वारा न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 07.07.2020 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

W.P.(S) No. 3195/2019 मनोज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.06.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मनोज कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 3177 दिनांक 18.04.2019 को निरस्त करते हुए श्री कुमार द्वारा दिनांक 19.02.2019 से 08.05.2019 तक उपभोग किये गये अवकाश को निम्नांकित रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (क) दिनांक 19.02.2019 से 08.05.2019 तक (कुल 79 दिन)- उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
